681
18-5-24

कार्यालय राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर, टोंक

क्रमांक / आर.टी0आई. / 2024 / 244 – 344 दिनांक 16 / 05 / 2024

समस्त लोक सूचना अधिकारी एवं नोडल अधिकारी

....

.... जिला टोंक

विषयः – सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 4(ख) की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत भारत के करदाता सह आर टी आई कार्यकर्ता सह मतदाता की ओर से सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 4(ख) के 17 बिन्दूओं की पालना एवं तत्काल लागू कराने हेतु लिखा है।

2339
13/5/24

RTI / DLR

(Let justice be done though the heavens fall) (न्याय किया जाए चाहे स्वर्ग ही क्यों ना गिर जाए)

"Justice delayed is justice denied. (देरी से न्याय मिलना न्याय नहीं मिलना) "

The Corrupt System Trembles with Transparency (पारदर्शिता से काँपती है भ्रष्ट व्यवस्था)

आईटी एक्ट - 2000 की धारा - 4 के तहत मेल के द्वारा शिकायत प्रेषित

आईटी एक्ट - 2000 की सुसंगत धारा 44 (क) के तहत दिए गए प्रत्येक आवेदन को अभिलेखित करें।

राज्य *सूचना* आयोग द्वारा संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(ख) सहित धारा 4 को अक्षरश राज्य *सूचना* आयोग सहित आयोग के अधीनस्थ सभी मंत्रालयों /सभी जिलों सहित पंचायत तक के कार्यालयों मे जमीनी स्तर पर तत्काल लागू करने/ करवाने के संबंध में

पत्रांक :- संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 दिनांक :- 09/05/2024

प्रेषक – भारत के करदाता सह आरटीआई कार्यकर्ता सह मतदाता

प्रेषित –

(1) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त; / सचिव / रजिस्टार; राजस्थान सूचना आयोग, झालना लिंक रोड, ओटीएस एमआईटी चौराहा; जेएलएन मार्ग; जयपुर - 302017 (ric.rajasthan@yahoo.com)

(2) उच्चतम न्यायालय; नई दिल्ली,

(3) कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली (आरटीआई सेल)

(4) विधि एवं न्याय मंत्रालय, न्याय विभाग, जैसलमेर हाउस, नई-दिल्ली

(5) मुख्य सचिव - सामान्य प्रशासन विभाग -जयपुर; राजस्थान (आरटीआई सेल)

(6) राजस्थान के समस्त जिला के जिला पदाधिकारी / उपायुक्त

(7) सक्षम पदाधिकारी । (जिन्हें मेल प्रेषित किया जा रहा है ।)

Scanned with OKEN Scanner

(Let justice be done though the heavens fall) (न्याय किया जाए चाहे स्वर्ग ही क्यों ना गिर जाए)

"Justice delayed is justice denied. (देरी से न्याय मिलना न्याय नहीं मिलना) "

The Corrupt System Trembles with Transperency (पारदर्शिता से काँपती है भ्रष्ट व्यवस्था)

पत्रांक :- संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 दिनांक :- 09/05/2024

5. अधिनियम की धारा 4(1)(बी) (v) के तहत नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली और अभिलेख, कार्य के निर्वहन की प्रमाणित जानकारी
6. अधिनियम की धारा 4(1)(बी) (vi) के तहत उसके नियंत्रण में रखे गए आधिकारिक दस्तावेजों की प्रमाणित जानकारी
7. अधिनियम की धारा 4(1)(बी) (vii) के तहत नीति निर्माण या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए किए गए कार्यों के प्रमाणित जानकारी
8. अधिनियम की धारा 4(1)(बी) (viii) के तहत किए गए कार्यों की प्रमाणित जानकारी
9. अधिनियम की धारा 4(1)(बी) (ix) के तहत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका की
10. अधिनियम की धारा 4(1)(बी) (x) के तहत अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक , विनियमों में प्रदान की गई प्रणाली की क्षति पूर्ति सहित प्रमाणित जानकारी
11. अधिनियम की धारा 4(1)(बी) (xi) के तहत आपके प्राधिकरण को आवंटित बजट जिसमें योजनाऐं शामिल है की प्रमाणित जानकारी प्रदान करें ।
12. अधिनियम की धारा 4(1)(बी) (xii) के तहत के तहत सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन की प्रमाणित जानकारी प्रदान करें ।
13. अधिनियम की धारा 4(1)(बी) (xiii) के तहत प्रत्येक कार्यक्रम/ योजना के लाभ प्राप्त करने वालों के नाम और पते की प्रमाणित जानकारी प्रदान करें ।
14. अधिनियम की धारा 4(1)(बी) (xiv) के तहत सूचना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के रूप में उपलब्धता की प्रमाणित जानकारी
15. अधिनियम की धारा 4(1)(बी) (xv) के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं की प्रमाणित जानकारी प्रदान करें ।
16. अधिनियम की धारा 4(1)(बी) (xvi) के तहत सार्वजनिक सूचना अधिकारियों और कार्यालय/ प्रशासनिक इकाइयों और सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए अपीलीय प्राधिकरण /अधिकारी के लिए नामित सहायक जन सूचना अधिकारियों के बारे में सम्पर्क नंबर सहित प्रमाणित जानकारी प्रदान करें ।
17. अधिनियम की धारा 4(1)(बी) (xvii) के तहत कृपया अन्य जानकारी या प्रकाशनो का विवरण दे जो प्रासंगिकता है या नागरिकों के उपयोग के हैं, की प्रमाणित जानकारी प्रदान करें ।

आरटीआई कार्यकर्ताओओ की माँग -

राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त/ सूचना आयुक्त तत्काल संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 को सूचना आयोग सहित पूरे राज्य के मुख्य सचिव से पंचायत/नगर निगम तथा डीजीपी से थाना तक (जहाँ तक जनता के टैक्सों के पैसे लगते है ।); सभी मंत्रालय में समान रूप से लागू करना और करवाना सुनिश्चित करें तथा सही सही सूचना वेवसाइट भी जारी करना/ कराना/ करवाना सुनिश्चित करें तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदक द्वारा सूचना माँगने पर आवेदक को धारा 7(2) के तहत सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का आदेश / निर्देश जारी करना सुनिश्चित करें । जो लोक जन सूचना अधिकारी वेबसाइट का हवाला देते है वह हवाला किसी हाल मे मान्य नही होगा उसे सत्यापित करके सूचना ससमय उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उस लोक जन सूचना अधिकारी पर सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त को 20(1) और 20(2) के तहत किसी हाल में कार्रवाई करना होगा ।

वेबसाइट और न्यायालय का हवाला देने से नहीं चलेगा वेबसाइट से दस्तावेज का प्रिंट निकालकर उस दस्तावेज को सत्यापित कर के आवेदक को उपलब्ध कराना होगा तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 23 के तहत न्यायालय का वर्जन है इसलिए न्यायालय का बहाना नहीं चलेगा ।

दिनांक :- 09/05/2024

स्थान : भारत

पेज - 01

भारत के करदाता सह आरटीआई कार्यकर्ता सह मतदाता

भारत के करदाता सह आरटीआई कार्यकर्ता सह मतदाता

पत्रांक :- संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 दिनांक :- 09/05/2024

Scanned with OKEN Scanner

(Let justice be done though the heavens fall) (न्याय किया जाए चाहे स्वर्ग ही क्यों ना गिर जाए)

"Justice delayed is justice denied. (देरी से न्याय मिलना न्याय नहीं मिलना)"

The Corrupt System Trembles with Transparency (पारदर्शिता से कॉपती है भ्रष्ट व्यवस्था)

पत्रांक :- संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 दिनांक :- 09/05/2024

स्पष्टीकरण

धारा 4(3) और 4 (4) के प्रयोजनों के लिए , "प्रसारित" से सूचना पट्टों , **समाचार पत्रों, लोक उद्घोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम से , जिसमें किसी लोक प्राधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण** सम्मिलित है, जनता को सूचना की जानकारी देना या संसूचित कराना अभिप्रेत है।

टिप्पणी :- **स्पष्टीकरण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (3) और 4(4) के प्रयोजन के लिए सूचना पट्ट (नोटिस बोर्ड), समाचार पत्रों, लोक उद्घोषणाओं, मीडिया प्रसारणओं, इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम से किसी लोक प्राधिकारी के कार्यालयों के निरीक्षण के लिए जनता को इसकी सूचना देगा और इसका प्रचार प्रसार करेगा ।**

उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका सिविल संख्या 990 / 2021 पर दिये गये तथ्य -

1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 पर उच्चतम न्यायालय में पहले भी विचार किया गया है लेकिन वह भी उसका भी पालन अब तक नहीं हो पाया है । (रिट याचिका सिविल संख्या 990 / 2021 के बिंदु 02)
2. सार्वजनिक प्राधिकारियों का कर्तव्य है कि वह स्वतंत्र संयुक्त संज्ञान लेते हुए सूचना को व्यापक रूप से जनता तक प्रसारित करें ताकि इसे जनता तक आसानी से पहुँचाया जा सके । (रिट याचिका सिविल संख्या 990 / 2021 के बिंदु 03 -23)
3. लोकतंत्र का एक उद्देश्य भ्रष्टाचार को रोकने और जवाब दे ही लाने के लिए सूचना में पारदर्शिता लाना है । (रिट याचिका सिविल संख्या 990 / 2021 के बिंदु 03 - 24)
4. धारा 25(5) के तहत सार्वजनिक प्राधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देशित किया गया है अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करना अनिवार्य है लेकिन 2005 से लेकर अब तक नहीं हो पाया है । (रिट याचिका सिविल संख्या 990 / 2021 के बिंदु 26)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(बी) के संबंध में प्रारुप

संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) से तहत आवेदन

विषय - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(बी) के संबंध में ।

संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005 की धारा 4(1) (बी) और उच्चतम न्यायालय में वाद संख्या 990/2021, निर्णय की तिथि 17/08/2023, मुख्य न्यायाधीश - श्री डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में निम्नलिखित सभी 17 विंदुओं की प्रमाणित विंदुवार जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें :-

1. अधिनियम की धारा 4(1)(बी) (i) के तहत आपके संगठन के कार्य एवं कर्तव्यों के विवरण की प्रमाणित जानकारी प्रदान करें ।
2. अधिनियम की धारा 4(1)(बी) (ii) के तहत अधिकारियों के कार्य एवं कर्तव्यों की प्रमाणित जानकारी प्रदान करें ।
3. अधिनियम की धारा 4(1)(बी) (iii) के तहत लोक प्राधिकरण अधिकारी द्वारा निर्णय लेने में अप नाई जाने वाली प्रक्रिया की प्रमाणित जानकारी ।
4. अधिनियम की धारा 4(1)(बी) (iv) के तहत अपने कार्यों के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदण्डों /मानकों के विवरण की प्रमाणित जानकारी

भारत के करदाता सह आरटीआई कार्यकर्ता सह मतदाता

Scanned with OKEN Scanner

(Let justice be done though the heavens fall) (न्याय किया जाए चाहे स्वर्ग ही क्यों ना गिर जाए)

"Justice delayed is justice denied. (देरी से न्याय मिलना न्याय नहीं मिलना)"

The Corrupt System Trembles with Transparency (पारदर्शिता से काँपती है भ्रष्ट व्यवस्था)

पत्रांक :- संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 दिनांक :- 09/05/2024

(iii) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं
टिप्पणी :- निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया (पर्यवेक्षण और रदायित्व सहित)

(iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड,
टिप्पणी :- अपने कार्यो के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड

(v) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख;
टिप्पणी :- अधिकारियों और कर्मचारियों विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और कार्यो के निर्वहन के लिए प्रयोग किए जाने वाले नियम

(vi) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण
टिप्पणी :- कार्यालयों में रखे दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण

(vii) किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं;
टिप्पणी :- अपनी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद किसी भी व्यवस्था का विवरण

(viii) ऐसे बोर्डों. परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के. जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं. जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों , परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी.विवरण ;
टिप्पणी :- बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों जिनमें दो से अधिक व्यक्ति सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया उस बैठकों के बारे जानकारी जनता की पहुँच होगी ।

(ix) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका
टिप्पणी :- कर्मचारियों के नंबर और अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका (जिसमें अधिकारियों और ईमेल आईडी होते हैं)

(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथाउपबंधित हो
टिप्पणी :- अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मुआवजे की प्रणाली सहित पारिश्रमिकइसके नियमों में प्रदान की गई

Scanned with OKEN Scanner

(Let justice be done though the heavens fall) (न्याय किया जाए चाहे स्वर्ग ही क्यों ना गिर जाए)

"Justice delayed is justice denied. (देरी से न्याय मिलना न्याय नहीं मिलना)"

The Corrupt System Trembles with Transparency (पारदर्शिता से काँपती है भ्रष्ट व्यवस्था)

पत्रांक :- संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 दिनांक :- 09/05/2024

(xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोट की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट:
टिप्पणी :- प्रत्येक एजेंस को आवंटित बजट सभी योजनाओं का विवरण प्रस्तावित और किए गए वितरण पर रिपोर्ट

(xii) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं ;
टिप्पणी :- सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका है जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण शामिल हो

(xiii) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टिया;
टिप्पणी :- दी जाने वाली रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के

(xiv) संबंध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों
टिप्पणी :- इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध या धारित की गई सूचना का ब्यौरा

(xv) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं ;
टिप्पणी :- लोक उपयोग में आने वाली (जैसे :- पुस्तकालय, वाचनालय या नागरिकों को उपलब्ध होने वाली सुविधाओं) का हर घंटे कार्यक्रम का ब्यौरा

(xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां
टिप्पणी :- लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य

(xvii) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए. प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा
टिप्पणी - ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है और उसके बाद हर साल इन प्रकाशनों को अपडेट करें।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (ग)

महत्वपूर्ण नीतियों की विरचना करते समय या ऐसे विनिश्चयों की घोषणा करते समय जो जनता को प्रभावित करते हो, सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकाशित करेगा

टिप्पणी :- महत्वपूर्ण नीतियों बनाते समय या जनता को प्रभावित करने वाले निर्णयों की घोषणा करते समय बने प्रासंगिक तथ्यों को प्रकाशित करना ।

भारत के करदाता सह आरटीआई कार्यकर्ता सह मतदाता

(Let justice be done though the heavens fall) (न्याय किया जाए चाहे स्वर्ग ही क्यों ना गिर जाए)

"Justice delayed is justice denied. (देरी से न्याय मिलना न्याय नहीं मिलना) "

The Corrupt System Trembles with Transparency (पारदर्शिता से काँपती है भ्रष्ट व्यवस्था)

पत्रांक :- संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 दिनांक :- 09/05/2024

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (घ)

प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्यायिक कल्प विनिश्चयों के लिए कारण उपलब्ध कराएगा ।

टिप्पणी :- पीड़ित या प्रभावित व्यक्तियों को प्रशासनिक या अर्ध न्यायिक (राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त/ सूचना आयुक्त) निर्णयों के लिए कारण प्रदान करना होगा/ उपलब्ध कराना होगा ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (2)

प्रत्येक लोक अधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि वह धारा 4(1)(ख) की अपेक्षाओं के अनुसार स्वप्रेरणा से जनता को नियमित अन्तरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अन्तर्गत इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करे जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पड़े।

टिप्पणी :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (ख) में वर्णित तथ्यों को बराबर अपडेट करते रहना है जिससे कि नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए कम से कम समय लगे ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (3)

धारा 4(1) के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से और ऐसे प्ररुप और रीति में प्रसारित किया जाएगा , जो जनता के लिए सहज रूप से पहुंच योग्य हो।

टिप्पणी :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) में वर्णित तथ्यों को ऐसे प्रारूप और रीति में प्रसारित करना है जिससे कि जनता को सरलता से पहुँच योग्य हो ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (4)

सभी सामग्र लागत प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और उस क्षेत्र में संसूचना की अत्यंत प्रभावी पद्धति को ध्यान मे रखते हुए प्रसारित किया जाएगा तथा सूचना, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास इलैक्ट्रानिक रूप में संभव सीमा तक निःशुल्क या माध्यम ऐसी लागत पर या ऐसी मुद्रण लागत कीमत पर जो विहित की जाए सहज रूप से योग्य होनी चाहिए।

टिप्पणी :- केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीमित समय में निःशुल्क या लागत मूल्य अर्थात कम कीमत पर उपलब्ध कराएगा/ कराना होगा ।

Scanned with OKEN Scanner

(Let justice be done though the heavens fall) (न्याय किया जाए चाहे स्वर्ग ही क्यों ना गिर जाए)

"Justice delayed is justice denied; (देरी से न्याय मिलना न्याय नहीं मिलना) "

The Corrupt System Trembles with Transparency (पारदर्शिता से काँपती है भ्रष्ट व्यवस्था)

पत्रांक :- संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 दिनांक :- 09/05/2024

संविधान के अनुच्छेद 375 के अनुसार - भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र सिविल , दांडिक और राजस्व अधिकारिता वाले सभी न्यायालय और सभी न्यायिक , कार्यपालक और अनुसचिवीय प्राधिकारी और अधिकारी अपने-अपने कृत्यों को , इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, करते रहेंगे ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (घ) के तहत राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त/ सूचना आयुक्त के निर्णय से आहत पीड़ित या प्रभावित व्यक्तियों को प्रशासनिक या अर्ध न्यायिक (राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त/ सूचना आयुक्त) निर्णयों के लिए किसी हाल मे कारण बताना होगा/ प्रदान करना होगा/ उपलब्ध कराना होगा ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4

"लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएँ"-

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1)

प्रत्येक लोक प्राधिकारी

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (क)

अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूची पत्रित और अनुक्रमणिका बद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा , जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख , जो कंप्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित हैं; युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलभ्यता के अधीन रहते हुए कंप्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध हैं जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुँच को सुकर बनाया जा सके

टिप्पणी :- कार्यालय के सभी अभिलेखों को सूचीबद्ध और कंप्यूटरीकृत 120 दिन में करना है जिससे कि युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए सूचना उपलब्ध कराना है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) (ख)

इस अधिनियम के अधिनियमन से एक सौ बीस दिन के भीतर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(बी) के 17 बिंदु निम्नलिखित है -

(i) अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य
टिप्पणी :- संगठन का ब्यौरा, कार्य और कर्तव्य

(ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य ;
टिप्पणी :- अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य

Scanned with OKEN Scanner